

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र.कमांक-3(ए) 19/2003/21-ब(एक) 1608
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20.03.2019

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

जबलपुर (म0प्र0)

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11 (बी), दिनांक 08.03.2019 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छटवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.01.2019 से 148 से बढ़ाकर 154 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन था अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम 9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11 (3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम -11 (3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2019 से पेंशन पर राहत 148 प्रतिशत से बढ़ाकर 154 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11 (बी), दिनांक 08.03.2019 में बताई गई रीति से होगा।
- (2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2019 से नगद किया जावेगा।
- (3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सही/-

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20.03.2019

पृ.फा.क.-3(ए) 19/2003/21-ब(एक)/.....

प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर/गवालियर

XXX

XXX

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सही/-

(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पेंशन, जबलपुर, दिनांक 20.03.2019

पृष्ठांकन क्रमांक/धार-12-14/10

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (समस्त).....
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय(समस्त).....
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर/गवालियर
4. रजिस्ट्रार, आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(डॉ. आर.के. मिश्रा)

ओवरसैडींग (लेखा)

26